संशोधन लिखितयालय
कांडविवाह

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1971

का० मृत्यु 3521.---राष्ट्रीय संधियान के प्रवेश 309 के परन्तुक और प्रवेश 148 के खंड (5) द्वारा प्रवेश प्राप्त समस्त प्रबंधनका प्रमौज करते हुए तथा लेखा परीक्षा ग्रंथ लेखा विभाग में कार्य कर रहे भ्रमणियों के संबंध में, विभाग और महालेखा परीक्षा में परामर्श करने के प्रवेश के केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) निययम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतवहारा निम्नलिखित नियम बताते हैं, प्रतिष्ठतः :-

1. (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) (प्रथम संशोधन) निययम, 1971 होगा ।

(2) उद्धारक राजनीति में विश्वास की तारीख को प्रस्तुत होगा ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) निययम, 1965 में, नियम 35 के पश्चात् इससे उपरांत प्रश्नीत प्रवेश प्राप्त किया जाएगा।

3. (1) केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) (प्रथम संशोधन) निययम, 1970 के प्रारंभ होने पर और दे, केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) निययम, 1957 और रक्षा सेवाओं में सिविल प्रवेश (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) निययम, 1952 के प्रश्नीत प्रवेश को समय समय गो यथा संशोधित और केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) निययम, 1965 के नियम 33 के प्रारंभ पर ऐसे प्रारंभ से ठोक पूर्व प्रस्तुत हैं, प्रस्तुत नहीं रहेगी ।

(2) ऐसी राजनीति के निम्नलिखित प्रवेश प्रमाण नहीं पड़ेगा—

(क) उक्त प्रश्नीत विद्यमान में भी किसी के प्रथान किसी भी प्रश्नीत द्वारा की गई किसी विधि का धारणा या प्रवेश के पूर्व प्रवर्तन पर या की गई किसी धारणा पर, या की गई कार्यवाही पर ।

(ख) उक्त प्रश्नीत विद्यमान में भी किसी के प्राप्त साधन के प्रश्नीत विद्यमान में किसी प्रश्नीत द्वारा या की गई और केंद्रीय सिविल सेवा (बर्मीकरण, नियंत्रण और धारणा) (प्रथम संशोधन) निययम, 1970 के प्रा भे से स्टॉक पूर्व लघुविधियों किसी कार्यवाहियों पर, और कोई भी ऐसी कार्यवाहियों मुख्त प्रश्नीत के प्राप्त ऐसे राजनीति भाषा आए और निपटाई जाएंगी।

प्रश्नीति

(निययम 5, 9(2), 12 (2) मार्त 24 भाग II देखिए)

भाग I केंद्रीय सिविल सेवा, वर्ग-1

1. पुरातत्व देवनाथ में, वर्ग-1
2. भारतीय वास्तविक संशोधन, वर्ग-1
3. केंद्रीय इंजीनियरी सेवा, वर्ग-1
4. केंद्रीय विभुति इंजीनियरी सेवा, वर्ग-1
5. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, वर्ग-1
6. केंद्रीय राजनीति राजनीति सेवा, वर्ग-1
7. केंद्रीय सावित्रावलय सेवा, वर्ग-1

(क) चावल शेखी
(ख) अंधेरी-1
8. साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग-1
9. भारतीय सूचना सर्वेक्षण, वर्ग-1
10. भारतीय सर्वरुचि तथा लेखा सेवा
11. भारतीय रक्षा लेखा सेवा
12. भारतीय विदेशी सेवा, वर्ग-1
13. भारतीय मंत्रीय विज्ञापन सेवा, वर्ग-1
14. भारतीय दान सेवा, वर्ग-1
15. भारतीय दान तथा दाता-प्राप्त सेवा, वर्ग-1
16. भारतीय राजस्व सेवा

(क) सीमा शुल्क शाखा (भारतीय सीमा शुल्क सेवा, वर्ग-1)
(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क शाखा (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा वर्ग-1)
(ग) वित्तसंबंधी शाखा (वित्तसंबंधी सेवा, वर्ग-1)

17. भारतीय तंबाकू सेवा, वर्ग-1
18. वाणिज्यक ममता विकास मासिक सेवा, वर्ग-1
19. खान मुख्य महानिदेशालय, वर्ग-1
20. विदेश संचार सेवा, वर्ग-1
21. भारतीय वित्तकोष, वर्ग-1
22. तार इंजीनियरिंग सेवा, वर्ग-1
23. भारतीय प्राणि विज्ञान संस्थान, वर्ग-1
24. भारतीय सीमांत प्रशासनिक सेवा—
    (क) अभी-1
    (ख) अभी-2
25. केन्द्रीय विवरण सेवा, वर्ग-1 (अभी 1, 2, 3 और 4)
26. रेल्वे निरीक्षणालय सेवा, वर्ग-1
27. भारतीय विवरण सेवा, शाखा (ख) (पूर्वक्षेत्री)
    (क) साधारण कार्य, अभी-1
    (ख) साधारण कार्य, अभी-2
28. दिल्ली, दिल्ली संकुल तथा निकोबार त्रैण तिथियों सेवा, अभी-1
29. दिल्ली, दिल्ली संकुल तथा निकोबार त्रैण पुलिस सेवा, अभी-1
30. भारतीय निरीक्षण सेवा, वर्ग-1
31. भारतीय पूर्ति सेवा, वर्ग-1
32. केन्द्रीय सूचना सेवा—
    (क) चयन अभी
    (ख) जेबेड प्रशासनिक अभी
    (ग) कलिन्द प्रशासनिक अभी
    (घ) अभी 1
    (ङ) अभी 2
33. भारतीय सांख्यिकी सेवा
34. भारतीय शारीरिक सेवा,
35. तारा यातायात सेवा, वर्ग-1
36. कविदीय जल इंजीनियरी सेवा, वर्ग-1
37. कंपनी यातायात इंजीनियरी सेवा वर्ग-1
38. कंपनी विभि बोर्ड सेवा
39. कंपनी पूल के श्रेण प्रभुकारी, वर्ग-1
40. कंपनी इंजीनियरी सेवा (मार्ग), वर्ग-1
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>सेवा का विवरण</th>
<th>नियुक्ति प्राधिकारी</th>
<th>शास्त्रीय बैठकारित करने में सन्धान प्राधिकारी और सास्त्रिय शिक्षा किर्रे द्वारा बैठकारित (नियम II की तरह तंत्रण के संदर्भ में) कर सकेंगे।</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>केंद्रीय सचिवालय सेवा की राजपति</td>
<td>सेवा के उस सदस्य के संबंध में को-</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा के उस सदस्य के संबंध में को-</td>
<td>(क) इसमें इसके प्रशासन सिखियों मंडल सचिव कांडर</td>
<td>(i)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा के उस सदस्य के संबंध में को-</td>
<td>मंडल और विभाग के भिन्न सेवा में भाग</td>
<td>प्राधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा के उस सदस्य के संबंध में को-</td>
<td>लेने वाले मंडल या सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा ने भाग न लेने वाले मंडल या</td>
<td>नियम में विभाग के सचिव</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td>नियम में विभाग के सचिव</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा ने भाग न लेने वाले मंडल या</td>
<td>सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td>नियम में विभाग के सचिव</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सरकारी विभाग में लेने वाले मंडल या</td>
<td>सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td>नियम में विभाग के सचिव</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सेवा ने भाग न लेने वाले मंडल या</td>
<td>सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td>नियम में विभाग के सचिव</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो</td>
<td>सस्त्र, कांडर प्राधिकारी</td>
<td>(i)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(०) इसमें उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट किसी कार्यालय से भिन्न किसी सचिवालय तर कार्यालय में सेवा कर रहा हो—

(i) यदि ऐसा कार्यालय सीघ वर्ग के अधिक वाले विभाग के व्रत्यक्ष के नियुक्त में हो तो—

(ii) प्रायः मामलों में—

(१) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग)

(i) सचिव, कार्यालय प्राधिकारी

(२) संच लोक सेवा आयोग का कार्यालय—

(i) सचिव संच लोक सेवा आयोग

2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सहायक श्रेणी

राष्ट्रपति

लेखा के उस सदस्य के संबंध में जो—

(०) इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट मंत्रालय वा विभाग से भिन्न सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में काम कर रहा हो

(०) सेवा में भाग न लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में काम कर रहा हो

(२) मंत्रालय या (i) से विभाग के सचिव (iv)
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(र) किसी संबंध कार्यालय में सेवा कर रहा हो या नहीं——</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ि) यदि ऐसा कार्यालय सीधे सरकार के प्रधान विभाग के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सचिव कार्यालय विभाग शाखा कार्यालय प्रारंभीकरण (ि) से (िी) सीधे सरकार के प्रधान के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ि) यदि ऐसा कार्यालय सीधे सरकार के प्रधान वाले विभाग के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सचिव, कार्यालय प्रारंभीप्रारंभीकरण (ि) से (िी) सीधे सरकार के प्रधान के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ि) विश्व जनता (रक्षा प्रभाग)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>वित्तीय सलाहकार, रक्षा प्रभाग (ि) से (िी) सीधे सरकार के प्रधान के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ि) संबंध लोक सेवा प्रभाग का कार्यालय</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सचिव, संबंध लोक सेवा प्रभाग (ि) से (िी) सीधे सरकार के प्रधान के प्रधान के नियंत्रण में होता है—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. केंद्रीय सचिवालय भारत—
लिपिक सेवा, श्रेणी — I

राष्ट्रपति

सभी

लेख के उस सदस्य के संबंध में जो—

(क) इसमें इसके पवित्रता विनिवेशक मंत्रालय या सरकारी विभाग से मिले सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो—

(ख) सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में सेवा कर रहा हो—

(ग) किसी संबंध कार्यालय में सेवा कर रहा हो जानेवाले सेवा में भाग लेता हो या नहीं—

(1) यदि ऐसा कार्यालय दीवार सरकार के विभागाध्यक्ष प्राधिकृत वाले विभाग के प्राध्यापक के नियंत्रण में हो तो—

(ii) ग्रन्थ मामलों में—

सचिव, काउटर प्राधिकृति

(2) इससे पवित्रता विनिवेशक किसी कार्यालय से मिले किसी सचिवालयंतर कार्यालय—

(1) यदि ऐसा कार्यालय दीवार सरकार के प्राधिकृत वाले विभाग के प्राध्यापक के नियंत्रण में हो तो—

(2) ग्रन्थ मामलों में—

(3) विल मंत्रालय (रक्षा प्रभाग)

रक्षा प्रभाग
4. केन्द्रीय सचिवालय भ्रान्तिपति राज्यपाल

राज्यपाल

सभी

सचिव, संचालक

सेवा वर्ग II

(१) सच्च सेवा भ्रान्तिका का कार्यकलाप सचिव, संचालक (i)

सेवाभ्रान्ति

सेवा के उस सदस्य के संबंध में जो—

(२) इसमें इसके पश्चात् विचित्रित्व किसी सचिव, कार्यकारी भ्रान्तिपति सेवा वर्ग में भाग घर्षकारी (४)

सेवा कर रहा हो—

(३) इसमें इसके पश्चात् विचित्रित्व किसी सचिव, मंत्रालय या सरकारी भिन्न भिन्न भ्रान्तिपति सेवा वर्ग में भाग घर्षकारी (४)

सेवा कर रहा हो—

(४) किसी संबंध कार्यक्ष में सेवा कर रहा हो या रहा वह भ्रान्ति पत्र में भाग लेना हो या नहीं—

(५) यदि ऐसा कार्यकलाप सीधे सरकार के बिच्चन वाले भिन्न भिन्न भ्रान्तिपति के नियंत्रण में रहा हो—

(६) मामलों में सचिव, कार्यकारी भ्रान्तिपति (४)

(७) इसमें इसके पश्चात् विचित्रित्व कार्यकलाप सेवा वर्ग में कार्य कर रहा हो—
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>नाम</th>
<th>वर्ग</th>
<th>उपर्युक्त के (i) से (iv) में समर्थन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा वर्ग-2</td>
<td>सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>भारतीय योग्यता विकास सेवा वर्ग-2</td>
<td>सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>डाक प्रबोधक सेवा वर्ग-2</td>
<td>डाक तार बोर्ड</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>पोस्टमास्टर सेवा, वर्ग-7</td>
<td>डाक तार बोर्ड</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>तार इंजीनियर सेवा, वर्ग-2</td>
<td>डाक तार बोर्ड</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>भारतीय डाक तार लेखा धोर वित्त सेवा, वर्ग-2</td>
<td>डाक तार बोर्ड</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>तार यातायात सेवा, वर्ग-2</td>
<td>महानिदेशक</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>संख्या</td>
<td>अंग्रेजी नाम</td>
<td>हिंदी नाम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Site Medical Officer</td>
<td>स्थापत्य विभाग, भाजी केन्द्र</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>---</td>
<td>----------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण वर्ग-2</td>
<td>महा निदेशक</td>
<td>महा निदेशक भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>भारतीय सर्वेक्षण वर्ग-2 भारतीय महा सर्वेक्षण</td>
<td>भारतीय महा सर्वेक्षण</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण वर्ग-2</td>
<td>निदेशक, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण</td>
<td>निदेशक भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>केन्द्रीय वैज्ञानिक इंजीनियर वर्ग-2</td>
<td>प्रमुख इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग</td>
<td>प्रमुख इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सहकार) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा वर्ग-2 प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग</td>
<td>प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा वर्ग-2 केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा वर्ग-2 (i) सीचाय और विद्युत संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव विभाग रंगालय के पद</td>
<td>संयुक्त सचिव</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(ii) केन्द्रीय विद्युत और विद्युत ज्योति सहकार केन्द्रीय जल और विद्युत ज्योति प्रायोग के पद</td>
<td>संयुक्त सचिव</td>
<td>सभी</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(iii) चन्द्रालय नियंत्रण सचिव, सिचाई और विद्युत संयुक्त सचिव, सिचाई और विद्युत मंत्रालय के पद सभी

(iv) रूपका बांध नियंत्रण श्रमायुक्त, (गंगा दैलिंग) सिचाई श्रमायुक्त, (गंगा दैलिंग) सिचाई और विद्युत नियंत्रण सचिव, सिचाई और विद्युत मंत्रालय सभी

(v) गंगा नियंत्रण सचिव श्रमायुक्त, (गंगा दैलिंग) सिचाई श्रमायुक्त, (गंगा दैलिंग) सिचाई और विद्युत नियंत्रण सचिव, सिचाई और विद्युत मंत्रालय सभी

25 केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी
सेवा, वर्ग-2 संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव सभी

(i) सिचाई और विद्युत मंत्रालय के पद सभी
(ii) केंद्रीय जल और प्रायोग श्रमायुक्त जल और विद्युत श्रमायुक्त-केंद्रीय जल और विद्युत श्रमायुक्त सभी

26 भारतीय नमक सेवा वर्ग-2 संयुक्त सचिव, उत्पादन मंत्रालय संयुक्त सचिव, उत्पादन, मंत्रालय सभी

27 भारतीय विदेश सेवा (ख) राष्ट्रपति राष्ट्रपति सभी

(i) साधारण कार्यकारी अधिकारी का ज्यादा 2 और 3(वर्ग-1 की
भारतीय झाले प्रमुख अधिकारी को प्रतिवर्ष विवर्तन करने
(ii) वीज लेख उप-कार्य वर्गीय 1
(iii) शास्त्रीय-उप-कार्य भेंजी-1
(iv) साधारण काब्र श्रेणी 4 राष्ट्रपति
(v) बीज तेल उप काब्र श्रेणी—2
(vi) राष्ट्रीय उप काब्र श्रेणी—2

23 दिल्ली तथा प्रणाली श्रीरं तथा समुद्र सचिव, गृह भाषायिनी निकोबार दीप समूह सतिबल सेवा श्रेणी—2

29 दिल्ली तथा प्रणाली श्रीरं तथा समुद्र सचिव, गृह भाषायिनी निकोबार दीप समूह पुलिस सेवा श्रेणी—2
30 केंद्रीय सूचना सेवा अंश 3 संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्रालय

सभी

द) विभाग-क ने नियुक्त के प्रमुख विभागाध्यक्ष

कार्यालय में हो

(व) अनुसंधान और निर्देश विभाग

निर्देशक, अनुसंधान और (i) से (iv)

निर्देश प्रभाग

31 केंद्रीय इंजीनियरी सेवा

(सड़कें) वर्ग 2 सचिव पोत परिवहन श्रेणी परिवहन सचिव पोत परिवहन श्रेणी परिवहन मंत्रालय मंत्रालय

महानिर्देशक (सड़क विकास) और पदन

प्रयोग सचिव पोत परिवहन श्रेणी परिवहन मंत्रालय (सड़क संख्य)

(1) से (iv)

32 साधारण केंद्रीय सेवा वर्ग 2

(1) उस पद के भिन्न मंत्रालय या विभाग का सचिव मंत्रालय विभाग का सचिव

सभी

जिसके सम्बन्ध में

राष्ट्रपति के साधारण

या विशेष आदेश के

द्वारा विनियमित

उपरोक्त बनाया गया

हो, भारत सरकार के

किसी मंत्रालय या

विभाग के पद
<p>| | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>दिल्ली प्रशासन प्रशासक</td>
<td>प्रशासक</td>
<td>प्रशासक</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>ब्राह्मणों और निकोबार</td>
<td>विभागाध्यक्ष</td>
<td>(i) से (ii)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>दोप समूह तथा लातूरीव,</td>
<td>मिली कोय और प्रासिक-</td>
<td>हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र राज्य क्षेत्र में—</td>
<td>विभागाध्यक्ष</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मिली कोय और प्रासिक-</td>
<td>दोप समूह से</td>
<td>(i) से (iv)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>दोप समूह से</td>
<td>विभागाध्यक्ष</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>विभ संघ राज्य क्षेत्रों के</td>
<td>पद</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पद</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>दिल्ली प्रशासन सभी मुख्य सचिव</td>
<td>मुख्य सचिव</td>
<td>सभी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पद</td>
<td>पद</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iv)</td>
<td>ब्राह्मणों और विभागाध्यक्ष</td>
<td>मुख्य ब्राह्मण वन विभाग के पदों के सम्बन्ध में</td>
<td>मुख्य ब्राह्मण वन पंड</td>
<td>सभी</td>
</tr>
<tr>
<td>निकोबार दोप समूह</td>
<td>मुख्य ब्राह्मण वन विभाग के पदों के सम्बन्ध में</td>
<td>(i) से (iv)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सभी पद</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(v)</td>
<td>लातूरीव मिली कोय राज्पुतिति</td>
<td>राज्पुतिति</td>
<td>सभी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>और प्रासिक-</td>
<td>प्रशासक</td>
<td>(i) से (iv)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>दोप समूह सभी पद</td>
<td>स्थानान्तरण नियुक्तियां जो</td>
<td>प्रशासक</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>छह महीम के प्रबंध की न हों—</td>
<td>राज्पुतिति</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रशासक—</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## भाग 3—केंद्रीय सिविल सेवा, वर्ष 3

(रक्षा सेवा में—के सिविलयों के लिये)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>संरक्षण का वर्णन</th>
<th>नियुक्ति प्राधिकारी</th>
<th>शासित संरक्षण प्राधिकारी</th>
<th>जिन्हें उह बस्तिरंपित कर सकेंगे नियम II दो बह संख्यामें के प्राप्ति प्राधिकारी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>केंद्रीय सर्विसलाई, सिविल- कूल सेवा, उच्च रेंजी और प्राधिकारी निम्न रेंजी प्रेड</td>
<td>उप सचिव या निदेशक कांड उप सचिव/कांड प्राधिकारी का निदेशक सभी सचिव, कांड प्राधिकारी</td>
<td>सचिव, कांड प्राधिकारी सेवा के उस सदस्य के संबंध में जो:— (क) नीचे विशिष्टित से विश्व बौद्धीय कार्यालय का प्रधान कांड प्राधिकारी से सभी उसे (i) तथा (iv) विभाग/कार्यालय में सेवा कर रहा हो जिसमें कार्यालय का प्रधान उप सचिव या निदेशक (किसी प्रशासनिक रेंजी) की पंक्ति से नीचे का नहीं; (ख) विश्व मंडल- उप विश्व सलाह- (i) तथा (iv) विश्व सलाहकार रक्षा प्रभाग कार (g) प्रधान मंत्री सचिव या उप- (i) तथा (iv) प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव सचिव का कोई प्राधिकारी</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3. भारतीय विदेश देशा (ख) सागररम कोटर खण्डी 5 और

उप सचिव, विदेश मंत्रालय

उप सचिव, विदेश मंत्रालय

सभी

सचिव, विदेश मंत्रालय

प्रेमा के उस सदस्य के संबंध में जो:-
किसी भारतीय नियंत्रण/विदेश में
किसी पद पर प्रेमा कर रहा हो।

यदि वह प्रस्तर (1) सचिव, विदेश मंत्रालय
सचिव या उससे ऊपर
की पंक्ति का हो तो
प्रमाण प्रमाण के भारतीय विदेश सेवा के
प्रति की मंडी 5 या
उससे ऊपर की पंक्ति
का पद
4 साधारण केन्द्रीय सेवा के नियम 3:

(1) उस पद लेने वाले सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग का उप सचिव या उप सचिव या निदेशक विभाग के द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंध बनाया गया हो, भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के पद

(11) उस पद लेने वाले जिसके सम्बंध में राष्ट्रपति के साधारण या विभाग प्राधिकृत के द्वारा विनिर्दिष्ट संबंध बनाया गया हो, छविचाइनेटर कार्यालय के पद
(iii) एक राज्य के एक कार्यालय का प्रधान या ऐसा अन्य प्राधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनियमित किया जाए।

प्रशासक या ऐसा अन्य प्राधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनियमित किया जाए, जहां अदेश प्रशासक का होगा-राष्ट्र-निवृत्ति।
कार्यालय का प्रधान या ऐसा प्रधान या ऐसा प्रत्येक सभी
प्रत्येक प्राधिकारी जो प्रन्त प्रधिकारी जो प्रशासक द्वारा विनियमित किया जाए।

प्रशासक या ऐसा प्रत्येक प्रा-
धिकारी जो प्रशासक द्वारा विनियमित किया
जाए, उन्हें भारतीय प्र-
शासक का हों—राज्यपाल।
| क्रम | सेवा/पद का विवरण | नियुक्त प्राधिकारी | शासियाँ प्रधिरोपित में समस्त प्राधिकारी और वे शासियाँ जिन्हें वह भी प्रधिरोपित कर सकेगा (नियम 11 की मद संबंध के संदर्भ में) |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------
<p>| 1   | वर्ग II पद      |                 |                                                 |
| (क) मद (ख) में विनिर्दिष्ट पदों से प्रिंस सभी वर्ग II पद | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति | सभी |
| (ख) यमस्तिष्ठित के अधीन हार्षी विनियंत येमी के पद | व्यासपति | व्यासपति |                                                                 |
| (1) जनरल स्टाफ शाखा     | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति |                                                                 |
| (II) एडजुकेट जनरल की शाखा | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति |                                                                 |
| (III) क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा | राष्ट्रपति | राष्ट्रपति |                                                                 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>(IV) मास्टर जनरल श्राफ</th>
<th>राष्ट्रपति</th>
<th>लेखा श्राधन्यल्ल कोर संचालन कार्यक</th>
<th>(1) से (IV)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रमुख इंजीनियर को</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>कमान के मुख्य इंजीनियर</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>शाखा</td>
<td>कमान के मुख्य इंजीनियर</td>
<td>फलेंग श्राफसर कमाहिंग इन चीफ,</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(V) नौसेना मुख्यालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>पश्चिमी नौसेना कमान, वांश</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(VI) नौसेना मुख्यालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>फलेंग श्राफसर-कमाहिंग इन चीफ</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>दक्षिणी नौसेना कमान, कोर में</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>फलेंग श्राफसर कमाहिंग इन चीफ पूंढ़ी</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>नौसेना कमान, विशाखापट्नम मुंबई</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>एडिंगटन महाकाल, नौसेना डाकाउट मुंबई</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(VII) वायु मुख्यालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>चीफ हायड्रोपॉर्स्ट, नौसेना हायड्रोपॉर्स्ट कार्यालय, देहरादून</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(VIII) महानिदेशालय सशस्त्र</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>नौसेना श्राफसर इन-चार्ज, गोवा</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>बिकल्सा सेवा</td>
<td>(1) से (IV)</td>
<td>एयर-श्राफसर इन-चार्ज, प्रशासन, वायु मुख्यालय</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(IX) निरीक्षण महानिदेशालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>महानिदेशालय, सशस्त्र बल बिकल्सा सेवा</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(X) नैवायल कॉडेट कोर महानिदेशालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>निरीक्षण महानिदेशालय</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td>(XI) श्राफनेस्क कार्यालय महानिदेशालय</td>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>महानिदेशालय, नैवायल कॉडेट कोर</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>महानिदेशालय, श्राफनेस्क कार्यालय</td>
<td>(1) से (IV)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(iii) सैनिक भूमियों और छावनियों निदेशालय

2. वर्ष III और IV वर्ष

(क) (i) सशस्त्र बल मुख्यालय के पद

उन पदों के सिवाय जो निम्न-मुख्य प्रशासनिक प्रधिकारी सभी

(ज) मार्केट कार्यालय महानिदेशालय का कार्यालय

(जी) भारी धारा कार्यालय ग्रामीण

(जी) निर्माणक अति- निम्न-मुख्य बैंकों के पद

(जी) जनरल सेना शाखा

(ii) एडब्ल्यूटेंट जनरल शाखा

(जी) क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा

(iv) मास्टर जनरल अफ प्राइंस्ट क्षेत्र

(क) सैनिक भूमि और छावनि निदेशालय (i) से (iv)
(v) मुख्य इंजीनियर की शाखा

(vi) नौसेना मुख्यालय

(vii) वायु मुख्यालय
(vii) सजस्त बल विजित्तिय सेवा महानिदेशालय
सजस्त बल विजित्तिय सेवा
सभी

(iv) निरीक्षण महानिदेशालय
निरीक्षण महानिदेशक
सभी

(v) राष्ट्रीय केंद्रस्तोध महानिदेशालय
राष्ट्रीय केंद्रस्तोध के संपर्क में महानिदेशक
सभी

(vi) श्रावकन्ता कार्यालय महानिदेशालय
श्रावकन्ता कार्यालय भर्ती निदेशालय
स्वामी

(vii) सैनिक भूमि और छावनी निदेशालय
सैनिक भूमि और छावनी निदेशक
जन सम्पर्क निदेशक
सभी

(viii) जन सम्पर्क निदेशालय
जन सम्पर्क निदेशक
सभी

(xiv) सरकारी संस्थान और विकास संगठन
राष्ट्र मंत्री का वैश्विक समहार तथा
राष्ट्र अनुसंधान और विकास संगठन का महानिदेशक
राष्ट्र मंत्री का वैश्विक सलाहकार तथा
राष्ट्र अनुसंधान और विकास संगठन का महानिदेशक
सभी

(XV) तकनीकी विकास और उत्पादन (शास्त्रीय)
निदेशालय
तकनीकी विकास और उत्पादन (शास्त्रीय) निदेशक
जन सम्पर्क निदेशक
सभी

(xvi) सुरक्षा कार्यालय के प्रधान पद
सुरक्षा प्रधानक, राष्ट्र मंत्रालय
सभी

विन्यास—“साहस्न बल मुख्यालय” पद के प्रतिनिधि, सम्पल वीज सेवा ध्वारो, राष्ट्रीय केंद्रस्तोध निदेशालय,
सैनिक भूमि और छावनी निदेशालय, जन सम्पर्क निदेशालय और अन्य संगठन जो सीधे राष्ट्र मंत्रालय
cे प्रधान कार्य कर रहे हैं, की जरूरत के प्रतिनिधि संगठन भी अतिरिक्त हैं।

[सं. 7/2/68-था० (क)]
एस.सी.  
कुश्यान, उप विधि।